न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा
पीठासीन अधिकारी – रजनी माधीवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 391/2017 रा.वा. (56/2006 रा.वा.)

सवाईसिंह पिता ओनाडसिंह जी राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के वारिसान :–

1. अमरसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. पदमसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती ज्ञानकंवर पुत्री सवाईसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. बलवंतसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ऊंकारसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्रवणसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बलवीरसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. बजरंगसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़

–प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 ,89 ,91 ,92 ए व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री श्यामलाल वैद अधिवक्ता–वादी
श्री भैरूलाल बापना , विपुल बापना अधिवक्तागण–प्रतिवादीगण

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 28–03–2018

वादी सवाईसिंह पिता ओनाडसिंह राजपूत निवासी थाणा ने दिनांक 23–06–2006 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88 , 89 , 91 92 ए व 188 रा.टि.ए. के तहत उपखण्ड अधिकारी मांडल के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा थाणा तत्कालीन तहसील–मांडल हाल करेड़ा के साबिक राजस्व अभिलेख में दर्ज आराजी नं. 1754/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर स्थित है जिस पर वादी काबिज हो उपयोग व उपभोग बहैसियत खातेदार काश्तकार के करता हुआ चला आ रहा है । साबिक आराजी नं. 1754/1 के सेटलमेंट ओपरेशन के दौरान नवीन परिवर्तित आराजी नं. 3018 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कायम हुए । सेटलमेंट कर्मियों से मिलकर स्व. मदनसिंह वल्द मोतीसिंह राजपूत निवासी थाणा ने नवीन राजस्व अभिलेख में अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है। मदनसिंह वल्द मोतीसिंह राजपूत का देहान्त दिनांक 15–2–2002 को हो गया । प्रतिवादीगण स्व. मदनसिंह के पुत्र होकर वास्तविक उत्तराधिकारी हैं । मदनसिंह की मृत्यु हो जाने से नवीन राजस्व अभिलेख में नवीन आराजी नं. 3018 का विरासत से नामांकन हो सकता है क्योंकि प्रतिवादीगण स्व. मदनसिंह के वारिसान हैं । वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व वास्ता नहीं है बल्कि उक्त आराजियात वादी के स्वामित्वाधिकार एवं आधिपत्याधीन की है इसलिये नवीन राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम पर त्रुटिपूर्ण अंकन हो जाने की आड़ में प्रतिवादीगण वादी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तथा उक्त आराजी नं. 3018 पर वादी के भौतिक आधिपत्य को हटाकर प्रतिवादीगण अपना हक स्थापित करना चाहते हैं । इस बाबत् प्रतिवादीगण ने विगत वर्ष दिनांक 4–10–2004 को वादी को क्षति पहुंचायी । अब प्रतिवादीगण ने दिनांक 4–6–2006 को पुनः धमकी दी है जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना नितांत आवश्यक हुआ है ।

वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह भी अंकन किया कि नवीन आराजी नं. 3018 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जो प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता के नाम पर दर्ज हो गयी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है जिससे स्थायी निषेधाज्ञा से वादी के कब्जा व दखल में अनावश्यक हस्तक्षेप ,

उपखंड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

दखलंदाजी व बाधा कारित न करने बाबत् प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जाना समुचित व विधि सम्मत है ।

वादी का वादपत्र बाद जांच पेश होकर दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जो बाद तामील जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और दिनांक 28–9–2006 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का खण्डन किया और बताया कि ग्राम थाणा में स्थित साबिक आराजी नं. 1754/1 प्रतिवादीगण के पिताजी मदनसिंह वल्द मोतीसिंह राजपूत निवासी थाणा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर वे ही उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं । नवीन रेकार्ड में उक्त साबिक आराजी के नवीन आराजी नं. 3018 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पड़े हैं जो हम प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है । उक्त आराजी नवीन सेटलमेंट के पहले व बाद भी प्रतिवादीगण के पिताजी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी व अभी भी प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है एवं वे ही उक्त आराजियात पर काबिज हो उसका निरंतर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । वादी सवाईसिंह का लड़का पदमसिंह जो कि पटवारी के पद पर होने के कारण मात्र अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कर्मचारियों से सांठ गांठ कर फर्जी तरीके से संवत् 2020 से 2023 की खसरा गिरदावरी की नकल में हम प्रतिवादीगण के पिताजी श्री मदनसिंह जी आत्मज मोतीसिंह जी के बजाय ओवरराईटिंग कर सवाईसिंह पिता ओनाड़सिंह कर दिया जो नकल देखने से ही स्पष्ट प्रतीत होता है । इस प्रकार किये गये फर्जीवाड़े से वादीगण को कोई भी अधिकार नहीं मिल सकते हैं और केवल इस आधार पर वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । वादी ने मात्र कपोल कल्पित एवं वादी सवाईसिंह का पुत्र पटवारी होने के कारण प्रतिवादीगण से नाजायज रकम ऐठने के लिये यह झूठा दावा पेश किया है जो सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्तनीय है । इस भूमि के हम प्रतिवादीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनके विरूद्ध कोई भी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और वादीगण का वादपत्र आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे ।

दौराने कार्यवाही वाद वादी सवाईसिंह की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान अमरसिंह वगैरह को बतौर वादी पक्षकार जोड़ा गया ।

प्रकरण में दिनांक 14–12–2006 को तनकियात कायम की गयी ।

उपखंड अधिकारी [illegible] सहायक कलक्टर कोटड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण में वादीगण को साक्ष्य हेतु कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 8–6–2016 को साक्ष्य वादी बंद की गयी । दिनांक 21–7–2016 को प्रतिवादी साक्ष्य में D.W. 1 बलवंतसिंह राजपूत का शपथपत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक 20–10–2016 को वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें उसने बताया कि साबिक आराजी नं. 1754/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मेरे पिताजी मदनसिंह पिता मोतीसिंह के नाम पर दर्ज थी जो साबिक रेकार्ड में है । सवाईसिंह का लड़का पदमसिंह 20 वर्षो से पटवारी के पद पर कार्यरत है । नवीन आराजी नं. 3018 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पहले मेरे पिता के नाम पर दर्ज थी अब विरासत से मेरे नाम पर दर्ज हुई है । नवीन आराजी नं. 3018 के साबिक नंबर 1754/1 हैं ।

साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की गयी और मामला बहस अंतिम में नियत किया गया । वादीगण द्वारा दिनांक 16–3–2017 को धारा 151 एवं आदेश 18 नियम 2 (4) जा.दी. के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वादीगण की साक्ष्य पुनः खुलवाने का निवेदन किया जिसका दिनांक 20–4–2017 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया ।

कालान्तर में करेड़ा उपखण्ड बनने पर यह वादपत्र इस न्यायालय में अंतरित होकर दर्ज रजिस्टर किया गया । दिनांक 5–2–2018 को वादीगण द्वारा दिनांक 16–3–2017 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 151 एवं आदेश 18 नियम 2 (4) जा.दी. पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी और प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया एवं प्रकरण बहस अंतिम में नियत किया गया ।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी व सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपने वादपत्र व जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

बहस पर मनन किया गया । वादीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा कई–कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और अपने वाद को साबित कराने हेतु कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया जबकि प्रतिवादी साक्ष्य में D.W. 1 बलवंसिंह द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2023 जो हालांकि प्रदर्शित नहीं हुई है फिर भी न्यायालय द्वारा उसका अवलोकन किया गया जिसे देखने पर उसमें ओवर राईटिंग होना स्पष्ट तौर पर दिखायी

Scanned by CamScanner

देता है और वैसे भी खसरा गिरदावरी कोई रेकार्ड ऑफ राइट नहीं होती है । वादीगण द्वारा सेटलमेंट के पूर्व एवं बाद की ऐसी कोई भी जमाबंदी जो कि रेकार्ड ऑफ राइट होती है पेश नहीं की है जिसमें साबिक आराजी नं. 1754/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा सवाईसिंह पिता ओनाडसिंह राजपूत के नाम पर दर्ज हो जिससे वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे हैं ।

अतः वादीगण का वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

आदेश

वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88–89 , 91, 92 ए व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । पक्षकारान् वाद व्यय अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 28–03–2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया । निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. सवाईसिंह पिता ओनाड़सिंह जी राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के वारिसान :–

1. अमरसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. पदमसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती ज्ञानकंवर पुत्री सवाईसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. बलवंतसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ऊंकारसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्रवणसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बलवीरसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. बजरंगसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 ,89 ,91 ,92 ए व 188 रा0टि0ए0 1955 मु0 संख्या 391/2017 रा.वा. (56/2006 रा.वा.) निर्णय दिनांक 28.03.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई सवरूप अदालत व हिजरी वकील वादी श्री श्यामलाल वैद मिनजानिब मुददई व वकील प्रतिवादी श्री विपुल बापना मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88–89 , 91, 92 ए व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।** फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

आज तारीख 28.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner